# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः एफ. 14(PWD)2022/एफसीए/प्रमुवसं./ 7972 दिनांक 20-10-2023

मुख्य वन संरक्षक क्षेत्र निदेशक,
सरिस्का बाघ परियोजना, अलवर।

विषयः– Diversion of 3.5568 ha. "Widening and Strengthening of Mahngi to Dudhli Mod Via Bhawani, Bhawani Khurd, Saipur, Andhi, Sriramnagar, Virasna, Gaonli, Newal Maksundanpura, Chawandiya, District -Jaipur (Rajasthan)" (Proposal No.-FP/RJ/ROAD/151862/2022)

संदर्भः– उप वन संरक्षक (वन्यजीव) जयपुर का पत्रांक 5474 दिनांक 21.09.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा ऑनलाईन प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएँ/स्पष्टीकरण अभी भी दिया जाना अपेक्षित हैः–

1. पालना अपूर्ण। जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा 3.4764 है0 गैर वन भूमि आबंटित की गयी है जबकि प्रसताव में 3.5568 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाना प्रस्तावित है। अवशेष भूमि का आवंटन प्रकियाधीन होना अवगत कराया गया है। अतः समतुल्य गैर वन भूमि के आरक्षित किये जाने पर ही प्रस्ताव पुनः प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।
2. पालना नही। यूजर ऐजेन्सी द्वारा वर्तमान सडक के 1980 से पूर्व की बनी होने संबंधी कोई प्रमाण पत्र संलग्न नही किये गये है।
3. पालना अपूर्ण। यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन्यजीव स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अवगत कराया गया है किन्तु पार्ट । में अपडेट नही किया गया है।
4. पालना नही। उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। के बिन्दु संख्या 4 में वन घनत्व सही अंकित नही किया गया है।
5. पालना नही। उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। के बिन्दु संख्या 5 में वन्यजीव प्रबंध योजना के प्रावधानों का विवरण संलग्न नही किया गया है।
6. पालना नही। उप वन संरक्षक द्वारा एन.पी.वी. गणना प्रमाण पत्र, प्रस्तावित वन भूमि का नोटिफिकेशन की प्रति, काटे जाने वाले पेडों की स्थिति, गैर वन भूमि का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नही किये गये है।
7. पालना नही। उप वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित वन भूमि के अभयारण्य क्षेत्र में पडने का कोई उल्लेख नही किया गया है।
8. पालना अपूर्ण। यूजर ऐजेन्सी द्वारा एलायमेंट में बदलाव नही किया गया है एवं अवगत कराया गया है कि पूर्व में निर्मित सडक का ही चौडाईकरण किया जावेगा। किन्तु उप वन संरक्षक द्वारा कोई टिप्पणी प्रस्तुत नही की गयी है।
9. पालना नही। मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पार्ट ।।। संलग्न नही किया गया है।

उक्त बिन्दुओं की पालना अपने स्तर, उप वन संरक्षक/यूजर ऐजेन्सी से कराया जाकर सूचना शीघ्र इस कार्यालय में भिजवाने का श्रम करावे।

आक्षेप सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

( दिनेश कुमार गुप्ता )
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14(PWD)2022/एफसीए/प्रमुवसं./ 7973-74 दिनांक 20-10-202

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप वन संरक्षक (वन्यजीव) जयपुर।
2. PUBLIC WORKS DEPARTMENT OF RAJASTHAN JACOB ROAD, JAIPUR.

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर



CamScanner